समक्ष राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र. लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

निगरानी 2132-II-15

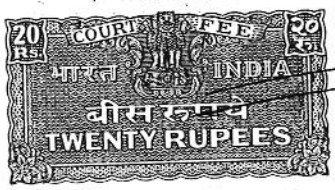

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1—रामसुशील पाण्डेय तनय स्व. श्री गिरजा प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम झगरहा तह. गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.

2—अमरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय स्व. श्री चन्द्रप्रताप पाण्डेय निवासी ग्राम झगरहा तह. गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.

....................आवेदक / प्रार्थीगण

बनाम्

मनोज कोल पिता ददोली कोल निवासी ग्राम झगरहा तह. गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.

................अनावेदक

श्री. सन्तोष मिश्रा "स्वामी" एड द्वारा आज दिनांक 12-05-15 के प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय मायब तहसीलदार वृत सेमरिया तह. गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

क्रमांक 5514 मान्यवर,
रजिस्टर्ड पोस्ट आज
दिनांक ... प्राप्त
राजस्व म... ...लियर

निगरानी के आधार निम्नानुसार हैं —

1— यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि अनावेदक के द्वारा सीमांकन हेतु दिये गये आवेदन पत्र में आराजी क. 65/1 रकबा 0.253, 65/2 रकबा 0.758 कुल 2 किता कुल रकबा 1.011 हे. स्थित मौजा झगरहा तह. गोपदबनास जिला सीधी म.प्र. के सरहदी कास्तकार जिसमें प्रार्थीगण भी थे को बिना पक्षकार बनाये हल्का पटवारी ने मनमाने ढ़ंग से आवेदक की भूमि जो कब्रिस्तान में कब्जा वाली थी को नक्शा प्लाट से अलग बिना किसी स्थायी सीमा चिन्ह से नाप किये बगैर सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 01.07.2014 को आवेदकगण की अनुपस्थिति में स्थल पंचनामा जिसमें अनावेदक मनोज कोल जिसकी पत्नी ग्राम पंचायत की सरपंच थी के प्रभाव में अवैधानिक कथित सीमांकन की कार्यवाही कर दी जिससे सीमांकन की कार्यवाही विधि के विरूद्ध होने से कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।

3— यह कि दिनांक 01.07.2014 को हल्का पटवारी जो मनोज कोल की पत्नी ग्राम पंचायत की सरपंच के प्रभाव में अवैधानिक सीमांकन के आधार पर जब

......2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -2132-II/2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामसुशील / मनोज	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री संतोष मिश्रा स्वामी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये। यह निगरानी नायब तहसीलदार सेंमरिया के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.3.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 18.3.15 एवं उसके संलग्न अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद सीमांकन से संबंधित है। अनावेदक मनोज कोल द्वारा तहसीलदार सेमरिया के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सर्वे कमांक 65/1 एवं 65/2 का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में नायब तहसीलदार सेमरिया के आदेश के मुताबिक राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी के सहयोग से दिनांक 1.7.14 को सीमांकन की कार्यवाही की गयी। सीमांकन कार्यवाही के दौरान स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया तथा नजरी नक्शा भी बनाया गया तथा फील्डबुक भी तैयार की गयी। आवेदक द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेखीय तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता कि आवेदकगण सीमांकित भूमि के सरहदी काश्तकार है, जिन्हें सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक था। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह तथ्य अवश्य अंकित किया गया है कि दक्षिण में 0.04 है0 पर रामसुशील काबिल काश्त है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने सीमांकन प्रतिवेदन में यह कहीं भी स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि	

प्रकरण कमांक R -2132-II/2015 जिला रीवा

रामसुशील / मनोज कोल

आवेदक का सीमांकित भूमि पर कब्जा है। जहां तक आवेदकगण की आपत्ति आवेदन में अंकित सर्वे कमांक 69, 60, 61, 62, 70 प्रभावित होने का तथ्य अंकित किया गया है तो इस संबंध में आवेदकगण भी अपने स्वामित्व के सर्वे कमांकों का सीमांकन कराये जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन करा सकते हैं, जिसके लिए वे स्वतंत्र है। वर्तमान में प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेखीय तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है जिसके आधार पर सीमांकन कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जावे और न ही यह सिद्ध हो रहा है कि आवेदक सरहदी कृषक होकर सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।

13-1-16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य